



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29122021-232240
CG-DL-E-29122021-232240

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5025]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943

No. 5025]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5420(अ).—अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ.), तारीख 24 फरवरी, 2010 द्वारा वंशाधारा जल विवाद अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिकरण कहा गया है) का अंतरराज्यीय वंशाधारा नदी और उसकी नदी घाटी से संबंधित जल विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए गठन किया गया था;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उक्त अधिकरण से, तीन वर्ष की अवधि के भीतर, अर्थात्, तारीख 23 फरवरी, 2013 को या उससे पूर्व अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय देना अपेक्षित था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 24 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 436 (अ.), तारीख 22 फरवरी, 2013 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 24 फरवरी, 2013 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, ओडिशा सरकार ने 2006 की रिट याचिका (सिविल) संख्यांक 443 में अंतर्वर्ती आवेदन संख्यांक 2013 का 8 द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय से केन्द्रीय सरकार को अधिकरण के गठन की तारीख 17 सितम्बर, 2012 से संगणना का निर्देश देने का अनुरोध किया;

और, माननीय उच्चतम न्यायालय ने तारीख 13 दिसंबर, 2013 को मामले की सुनवाई की और यह आदेश पारित किया कि क्योंकि अधिकरण ने 17 सितंबर, 2012 से कार्य करना प्रारंभ किया था, इसलिए उस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित तीन वर्ष की अवधि की संगणना के प्रयोजन के लिए वंशाधारा जल विवाद अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख के रूप में समझा जाएगा;

और, केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 778 (अ.) तारीख 14 मार्च, 2014 द्वारा यह विनिश्चय किया कि उक्त अधिकरण के गठन की प्रभावी तारीख 17 सितंबर, 2012 होगी और तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन वंशाधारा जल विवाद अधिकरण द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष की अवधि 17 सितंबर, 2012 से प्रारंभ होगी;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2581 (अ.), तारीख 18 सितंबर, 2015 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2015 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2016 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2971 (अ.), तारीख 16 सितंबर, 2016 द्वारा रिपोर्ट और विनिश्चय प्रस्तुत करने की अवधि को 17 सितंबर, 2016 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अपनी रिपोर्ट और विनिश्चय तारीख 13 सितंबर, 2017 को प्रस्तुत कर दिया था;

और, ओडिशा राज्य ने तारीख 11 दिसंबर, 2017 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन उक्त अधिकरण को और निर्देश किया तथा केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिकरण में तारीख 12 दिसंबर, 2017 को और निर्देश किया तथा उक्त अधिकरण ने 10 दिसंबर, 2018 को या उससे पहले एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसंबर, 2018 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 474(अ.), तारीख 25 जनवरी, 2019 द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 11 दिसंबर, 2018 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसंबर, 2019 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4533(अ.), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 11 दिसंबर, 2019 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि 11 दिसम्बर, 2020 से एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4474(अ.), तारीख 9 दिसंबर, 2020 द्वारा अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि को 11 दिसम्बर, 2020 से एक वर्ष की और अवधि के लिए विस्तारित कर दिया था;

और, उक्त अधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अपनी अतिरिक्त रिपोर्ट तारीख 21 जून, 2021 को प्रस्तुत कर दी है ;

और, उक्त अधिकरण के तारीख 13 सितंबर, 2017 के रिपोर्ट और निर्णय, तारीख 23 सितंबर, 2019 को पारित आदेश और तारीख 21 जून , 2021 की अतिरिक्त रिपोर्ट के खिलाफ ओडिशा राज्य द्वारा दायर एसएलपी क्रमशः 8030/2018, 27930/2019 और 15143/2021 माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, अतः उक्त अधिकरण ने अब अधिकरण के कार्यकाल को 10.12.2021 से आगे बढ़ाने का अनुरोध किया है;

और, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अधीन उक्त अधिकरण द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त रिपोर्ट केंद्रीय सरकार के विचाराधीन है और उक्त एसएलपी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, और उक्त अधिकरण को अभी तक उक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत भंग नहीं किया गया है, अब, इसलिए, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिकरण के कार्यकाल को 11 दिसंबर, 2021 से तीन महीने की और अवधि के लिए विस्तारित करती है।

[फा. सं. एन-60012/1/2017-बीएम]

संजय अवस्थी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)
NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2021

S.O. 5420(E).— Whereas, the Vansadhara Water Disputes Tribunal (hereinafter called the said Tribunal) was constituted on the 24th February, 2010 *vide* notification number S.O.465 (E), dated the 24th February, 2010 under section 4 of the Inter-State River Water Disputes, Act, 1956 (33 of 1956)(hereinafter called the said Act) for the adjudication of the water disputes regarding Inter-State river Vansadhara, and river valley thereof;

And whereas, the said Tribunal was required to submit its report and decision under sub-section (2) of section 5 of the said Act within a period of three years, that is, on or before the 23rd February, 2013 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 24th February, 2013 and the Central Government *vide* notification number S.O.436 (E), dated the 22nd February, 2013, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 24th February, 2013;

And whereas, the Government of Odisha approached the Hon'ble Supreme Court *vide* Interlocutory Application number 8 of 2013 in Writ Petition (C) number 443 of 2006 to direct the Central Government to reckon the date of constitution of the Tribunal as the 17th September, 2012;

And whereas, the Hon'ble Supreme Court heard the matter and passed the order on the 13th December, 2013 that as the Tribunal started functioning with effect from the 17th September, 2012, that date be considered as the effective date of the constitution of the Vansadhara Water Disputes Tribunal for the purpose of calculating the period of three years as provided under sub-section (2) of section 5 of the said Act;

And whereas, the Central Government *vide* notification number S.O.778 (E), dated the 14th March, 2014, had decided that the effective date of constitution of said Tribunal shall be the 17th September, 2012, and accordingly, under the provisions of sub-section (2) of section 5 of the said act, the period of three years for submission of report and decision by the Vansadhara Water Disputes Tribunal shall commence from the 17th September, 2012;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 and the Central Government *vide* notification number S.O. 2581 (E), dated the 18th September, 2015, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2015 ;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016 and the Central Government *vide* notification number S.O. 2971(E), dated the 16th September, 2016, had extended the period of submission of report and decision for a further period of one year with effect from the 17th September, 2016;

And whereas the said Tribunal submitted its report and decision under Sub-Section (2) of Section 5 of the said Act on the 13th September, 2017;

And whereas the State of Odisha made further reference to the said Tribunal under the proviso to Sub-Section (3) of Section 5 of the said Act on the 11th December, 2017 and the Central Government made further reference to the said Tribunal on the 12th December, 2017 and the Tribunal had to submit its further report within a period of one year, that is, on or before the 10th December, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018 and the Central Government *vide* notification number S.O. 474(E), dated the 25th January, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2018;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019 and the Central Government *vide* notification number S.O. 4533(E), dated the 13th December, 2019, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2019;

And whereas, the said Tribunal had requested to extend the period of submission of further report for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020 and the Central Government *vide* notification number S.O. 4474(E), dated the 9th December, 2020, had extended the period of submission of further report by the said Tribunal for a further period of one year with effect from the 11th December, 2020;

And whereas the said Tribunal submitted its further report under sub-section (3) of section 5 of the said Act on the 21st June, 2021;

And whereas, since the SLPs 8030/2018, 27930/2019 and 15143/2021 filed by the State of Odisha against the report and decision dated 13th September, 2017, order passed by the said Tribunal dated 23rd September, 2019 and the further report dated 21st June, 2021 respectively, are pending consideration before the Hon'ble Supreme Court, the said Tribunal has now requested to extend the tenure of the said Tribunal beyond the 10th December, 2021.

And whereas, the further report submitted by the said Tribunal undersub section 3 of section 5 of the said Act is under consideration of the Central Government and the said SLPs are pending consideration before the Hon'ble Supreme Court, and the said Tribunal has not yet been dissolved under section 12 of the said Act, now, therefore, in exercise of the power conferred by the proviso to sub-section (3) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby extends the tenure of said Tribunal for further period of three months w.e.f 11th December, 2021.

[F. No. N-60012/1/2017-BM]
SANJAY AWASTHI, Jt. Secy.